न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 11/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः–

प्रार्थी

1. मंगलाराम पुत्र ईसराजी जाति विश्नोई निवासी करावडी तहसील सांचोर जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. किशनलाल पुत्र ईसराजी
2. लाबूराम पुत्र ईसराजी
3. जयकिशन पुत्र हरलाल
4. देवाराम पुत्र हरलाल
5. रामलाल पुत्र हरलाल
6. जीयादेवी पत्नी स्व0 हरलाल
   जाति विश्नोई निवासी करावडी
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा सांचोर
8. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक सांचोर
9. शाखा प्रबंधक जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक सांचोर
10. तहसीलदार सांचोर

उपस्थिति –

1. प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री भजनलाल साऊ

निर्णय

दिनांक 03.09.2020

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैं कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम करावडी के खसरा नं. 406 रकबा 3.34 हैक्टर किस्म जाव दोयम खसरा नं. 421 रकबा 1.47 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम खसरा नं. 332 रकबा 1.11 हैक्टर किस्म जाव दोयम खसरा नं. 433 रकबा 0.02 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मकान खसरा नं. 434 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मकान खसरा नं. 435 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नं. 436 रकबा 11.56 हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.10 17:56:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

किस्म जाव दोयम चाही दोयम कुल रकबा 17.56 हैक्टर भूमि स्थित हैं जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 से 6 तक संयुक्त रूप से दर्ज है। उपरोक्त खेतों के अन्दर द्वितीय सेटलमेंट से पूर्व राजस्व रेकर्ड में हरलाल वल्द अना 1/2 व ईसरा वल्द अना 1/2 हिस्सा की सहखातेदारी दर्ज थी एवं द्वितीय सेटलमेंट के बाद उपरोक्त अनुसार खातेदारी दर्ज चली आ रही है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 421 में से नर्मदा नहर निकल रही है जिस पर भूमि अवाप्त होने पर खसरा नं. 421 में से नवीन खसरा नं. 1023/421 रकबा 0.36 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन नहर नर्मदा नहर परियोजना सांचोर के नाम दर्ज किया गया तथा खसरा नं. 421 रकबा 0.74 हैक्टर व खसरा नं. 1024/421 रकबा 0.37 हैक्टर इन्द्राज यथावत रहेगा। इस प्रकार उपरोक्त खसरा नं. 421 का वर्तमान रकबा 0.74 हैक्टर है।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के सगे भाई राणा वल्द ईसरा थे। राणाराम अविवाहित था। दिनांक 15.10.2009 को राणाराम सांचोर का बोल कर घर से निकला था उसके बाद राणाराम लापता हो गया। काफी खोजने के बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। दिनांक 13.3.2010 को राजस्थान पत्रिका में उसकी गुमशुदगी की सूचना प्रकाशित करवाई गई। 9 वर्ष से किसी ने देखा नही ना ही उसके जीवित होने के कोई प्रमाण है। ऐसे में राणाराम की सीविल डेथ मानी जाकर उसके हिस्से खातेदारी स्वतः अप्रार्थीगण 1 व 2 के हक में समायोजित हो गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा 3 से 6 के पूर्वज दोनों सगे भाई है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 6 का मौखिक विभाजन किया हुआ है तथा अपने हिस्से में कब्जाकाश्त कर रहे है। विभाजन का नक्शा परिशिष्ट–अ के अनुसार आपसी सहमति से काबिज काश्त है। विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं हुआ है। परिशिष्ट–अ को प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझ कर परिशिष्ट–अ अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करे। दिनांक 10.4.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान में विधिवत बंटवाडा हेतु कागजात तैयार कर बंटवाडा हेतु कहा गया लेकिन अप्रार्थीगण बंटवाडा करवाने से साफ मना कर दिया और कहा कि हम शामलाती अराजी का बंटवाडा नहीं करवाना चाहते। अपनी मर्जी से काश्त करेंगे। अप्रार्थीगण धमकियां दे रहे हैं कि प्रार्थी को कब्जेकाश्त से बेदखल कर देंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने विधिवत विभाजन हेतु प्रार्थना पत्र के साथ वाद अलग से पेश किया हैं। दिनांक 14.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 ने लडाई–झगडा कर थाने में मुकदमा दर्ज कराया एवं प्रार्थी को अपनी ढाणी से बेदखल करने की धमकी दे रहे है कि यदि अगर ऐसा होता हैं तो प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों एवं विभाजन से वंचित हो जायेगा। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से लगातार 10 तक बावजूद सूचना अनुपस्थित इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया ।

प्रार्थना पत्र में बिन्दुवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>

प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी आराजी मुतनाजा खसरा संख्या 406, 421, 432, 433, 434, 435, 436 जुमले रकबा 17.56 हैक्टर ग्राम करावडी का खातेदार काश्तकार हैं तथा खातेदार काश्तकार होने से अपनी खातेदारी की भूमि में निर्बाध काश्त करने हेतु स्वतंत्र है। सभी पक्षकार मौके पर शांतिपूर्वक काश्त कर रहे है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी अराजी में काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का विधिवत बंटवाडा करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास आता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.10 17:56:51 IST
Reason: SelfAttested

2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णिय क्षति

तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये दोनों बिन्दुओं का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आराजी मुतनाजा में राणाराम, किशनलाल, मंगलाराम व लाबूराम सहखातेदार होने के साथ ईसरा की संतान है। प्रार्थी का भाई लंबे समय से लापता है जिसकी सिविल डेथ की घोषणा की कार्यवाही प्रार्थी के परिवारजनों द्वारा की जा रही है। जिसके पश्चात् राणाराम की सम्पत्ति के वारिसान तय होने है। चूंकि राणाराम को लाओलाद फौत होना प्रार्थना पत्र में वर्णित किया गया है जो गुणावगुण व साक्ष्य से तय होना हैं परन्तु तब तक प्रार्थी का हिस्सा निहित होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में कयास आता है। अप्रार्थी चूंकि प्रार्थी को जबरन उसके कब्जे काश्त व मनबट की आराजी से बेदखल करना चाहते है और वो इस आशय में कामयाब हो जाते हैं तो अपूर्णिय क्षति भी प्रार्थी को होना संभावित है। अतः दोनों बिन्दु भी प्रार्थी के हक में कयास होता है।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के हक में सिद्ध होने से प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त में दखल अंदाजी ना करने हेतु एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 क्रमशः किशनलाल व लाबूराम को राणाराम के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 3.9.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

3.9.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.10 17:56:51 IST
Reason: SelfAttested